



2026:AHC:56070-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 29108/2025

अनिल उर्फ अनिल यादव और 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: मयंक प्रांजल, परमेश्वर सिंह, राजेंद्र कुशवाह
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: अनिल कुमार सिंह, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए., प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 का विवाह प्रत्यर्थी संख्या 3 से दिनांक 01.10.2025 को हुआ था, तथापि, उक्त विवाह के पश्चात, किसी गलतफहमी के कारण, याचिकाकर्तागण के विरुद्ध आक्षेपित एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।
3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि आक्षेपित एफ.आई.आर. को याचिकाकर्तागण द्वारा इस माननीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत करके चुनौती दी गई थी और इस न्यायालय ने, पक्षकारों की सहमति से, दिनांक 14.01.2026 के आदेश के माध्यम से, पक्षकारों को मध्यस्थता के द्वारा विवाद निपटाने की हेतु मामले को इस न्यायालय के मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र को निर्दिष्ट किया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. दिनांक 14.01.2026 के उक्त आदेश के अनुसरण में, याचिकाकर्ता संख्या 1 अनिल उर्फ अनिल यादव (पति) और प्रत्यर्थी संख्या 3 श्रीमती पिकू यादव (पत्नी) इस न्यायालय के मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र के समक्ष उपस्थित हुए और तत्पश्चात, मध्यस्थों की सहायता से, पक्षकारों के मध्य विवाद का सौहार्दपूर्ण एवं वास्तविक रूप से निपटारा किया गया है और इस संबंध में, पक्षकारों के मध्य दिनांक 24.02.2026 का एक समझौता करार भी तैयार किया गया है, जिसकी प्रति इस न्यायालय को अग्रेषित की गई है और अभिलेख पर रखी गई है, जो इस रिट याचिका का भाग होगी।

5. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि उक्त समझौता करार के अनुसार, पक्षकारों के मध्य विवाह को स्वीकार किया गया है और आगे यह कथित किया गया है कि अब, वे पति-पत्नी के रूप में शांतिपूर्वक रह रहे हैं और एक-दूसरे के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। उक्त समझौता करार में यह भी उल्लेखित है कि दोनों पक्षकार, उपयुक्त कदम उठाकर, एक-दूसरे के विरुद्ध दायर सभी वादों (सिविल एवं आपराधिक) को वापस लेंगे।

6. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के दृष्टिगत आक्षेपित एफ.आई.आर. को खारिज किया जाए।

7. प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता भी उपस्थित हुए हैं और उन्होंने उक्त समझौता करार को स्वीकार किया है तथा निर्देशों पर, यह निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 को कोई आपत्ति नहीं है, यदि आक्षेपित एफ.आई.आर. को खारिज किया जाता है।

8. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके हैं और उन्होंने निवेदन किया है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, यदि संपूर्ण कार्यवाहियों को खारिज किया जाता है।

9. यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वादों में पारित निर्णयों से अनभिज्ञ नहीं है:-

(i). **बी.एस. जोशी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, (2003) 4 एससीसी 675।**

(ii). **निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, (2008) 9 एससीसी 677।**

(iii). **मनोज शर्मा बनाम राज्य एवं अन्य, (2008) 16 एससीसी 1।**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (iv). *ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एससीसी 303।*
- (v). *नरिंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एससीसी 466।*
- (vi) *परभतभाई आहिर उर्फ परभतभाई बनाम गुजरात राज्य, (2017) 9 एससीसी 641।*
- (vii) *मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायणन, (2019) 5 एससीसी 688।*
- (viii) *के. भारती देवी एवं अन्य बनाम तेलंगाना राज्य एवं अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 2695।*
10. जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि पक्षकारों के मध्य कतिपय संज्ञेय और अशमनीय अपराधों के संबंध में भी समझौता किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा *शफीउल्लाह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [2013 (83) एससीसी 278]* में दिए गए विनिश्चय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें, उपर्युक्त वादों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को विस्तार से स्पष्ट किया गया है।
11. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई दलीलों पर भी विचार करते हुए, यह न्यायालय इस सुविचारित मत का है कि उपर्युक्त वाद की कार्यवाहियों को लंबा खींचने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।
12. तदनुसार, थाना दुर्गागंज, जनपद भदोही में बी.एन.एस. की धारा 115(2), 352, 351(3), 69, 81 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 0143/2025 के उद्भव वाली दिनांक 05.12.2025 की आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट की संपूर्ण कार्यवाहियां खारिज की जाती हैं।
13. वर्तमान रिट याचिका अनुज्ञात होती है।

18 मार्च, 2026

आर

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।